संख्या- 23/2015/557/60-3-15-13(13)/14

प्रेषक,

**रेणुका कुमार,**
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
महिला कल्याण, उ0प्र0,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 28 जुलाई, 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के प्राविधानों के अंतर्गत पदों का सृजन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 (यथा संशोधित) के नियम-7 के अंतर्गत कम्प्यूटर आधारित आनलाईन वर्किंग नेटवर्किंग एवं डाटा की सुरक्षा के लिये कोष प्रबंधन इकाई जिसमें कोष प्रबंधन इकाई, डाटा सेंटर लखनऊ तथा सभी जिलों में जिला तकनीकी इकाई के सफल संचालन हेतु उपयुक्त कार्मिकों की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है।

2 अत: उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत कोष प्रबंधन इकाई तथा प्रदेश के सभी जिलों में जिला तकनीकी इकाईयों के संचालन हेतु निम्नानुसार अस्थायी पदों को दिनांक 29-02-2016 तक बशर्ते कि यह पद उससे पूर्व समाप्त न कर दिये जायें, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| क्रमांक | पदनाम | (पदों की संख्या) | पद पर भर्ती का स्रोत |
|---|---|---|---|
| कोष प्रबंधन इकाई के संचालन हेतु | | | |
| 1 | प्रोग्रामर | 02 | सेवा प्रदाता (यू0पी0 डेस्को) के माध्यम से |
| 2 | असिस्टेंट प्रोग्रामर | 02 | सेवा प्रदाता (यू0पी0 डेस्को) के माध्यम से |
| 3 | डाटा एंटी आपरेटर | 02 | सेवा प्रदाता (यू0पी0 डेस्को) के माध्यम से |
| 4 | सहायक स्टाफ ग्रुप 'डी' | 03 | सेवा प्रदाता के माध्यम से |
| 5 | वाहन चालक | 02 | सेवा प्रदाता के माध्यम से |
| जिला तकनीकी इकाईयों के संचालन हेतु | | | |
| 1 | जिला तकनीकी इकाई के लिये कम्प्यूटर आपरेटर | प्रत्येक जनपद के लिये 02 | सेवा प्रदाता (यू0पी0 डेस्को) के माध्यम से |

3 इन सृजित पदों पर होने वाले व्यय का वहन आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-103-महिला कल्याण-10-उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष-42-अन्य व्यय के मद के नामे डाला जयेगा।

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-970/दस-ई-3-2015, दिनांक 27 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत की जा रहें हैं।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-557(1)/60-3-2015 तदयदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी, एन0आईसी0 (नेशनल इल्फारमेटिक्स सेंटर), लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
6. प्रबंध निदेशक, यू0पी0 डेस्को, लखनऊ।
7. कोष कार्यालय को कोष की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 (नेशनल इन्फारमेटिक्स सेंटर), लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।